भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-200

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश

***200. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं योजनावधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में कितना-कितना सरकारी और निजी निवेश किया गया;

(ख) क्या आगामी दस वर्षों के दौरान देश की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए संसाधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी को विद्युत की चौबीसो घंटे आपूर्ति किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) में किए गए सरकारी और निजी निवेश की धनराशि निम्नवत हैः

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**ग्यारहवीं योजना**	**बारहवीं योजना**
सार्वजनिक	3,92,110	6,98,191
निजी	3,01,370	4,42,588
कुल	**6,93,480**	**11,40,779**

(ख) और (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(क) के अंतर्गत बाध्यता के अनुसार मध्यम एवं दीर्घकालिक आधार पर देश की विद्युत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में देश का इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) संचालित करता है। देश के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2026-27 तक के लिए विद्युत की मांग के अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 के लिए 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट में संभावित विद्युत मांग अनुमान को कवर किया गया है। संभावित वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 के लिए देश की अनुमानित विद्युत ऊर्जा आवश्यकता और पीक विद्युत मांग नीचे दी गई है:

	2031-32	**2036-37**
विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)	2530531	3049478
व्यस्ततम विद्युत मांग (मेगावाट)	370462	447702

जहां तक, संसाधनों का संबंध है, देश में 28,460 मेगावाट क्षमता का थर्मल उत्पादन, 72,606 मेगावाट क्षमता का नवीकरणीय उत्पादन (वृहद हाइड्रो सहित) और 15,700 मेगावाट क्षमता का न्युक्लियर उत्पादन शीघ्र होने वाला/निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के आधार पर 500 गीगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

(घ) : सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न शुरूआतें की गई हैं। कुछ प्रमुख शुरूआतें निम्नानुसार हैं:

- उत्पादन के साथ-साथ ट्रांसमिशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के विभिन्न प्रावधानों सहित दिनांक 28.01.2016 को संशोधित टैरिफ नीति अधिसूचित की गई।
- सभी डिस्कामों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षताओं तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम आरंभ की गई तथा इससे विद्युत क्षेत्र में निवेशों के बढ़ने की संभावना है।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में निवेशों को आकर्षिक करने के उद्देश्य से, सोलर तथा पवन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के ट्रांसमिशन के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों को दिनांक 30.06.2025 तक छूट दी गई है।
- विद्युत उत्पादन (आण्विक ऊर्जा को छोड़कर) की परियोजनाओं, ट्रांसमिशन, वितरण तथा व्यापार के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- सामान्यत:, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ट्रांसमिशन परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2229
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत आधारित खाना पकाने की पद्धति

2229. श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत आधारित खाना पकाने की पद्धति में प्रसार होने का ब्यौरा क्या है जो ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने में सहायता करता है जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके;

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आधारित खाना पकाने की पद्धति का कितना प्रसार हुआ है; और

(ग) कर्नाटक सहित देश में विद्युत आधारित खाना पकाने की पद्धति के सर्वाधिक प्रसार वाले शहरों/कस्बों/गांवों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयूज/संगठनों द्वारा विद्युत आधारित खाना पकाने की पद्धति में प्रसार होने के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाना पकाने की पद्धति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने इंडक्शन हॉब्स के लिए निष्पादन बैंचमार्क विकसित किए हैं और इस उत्पाद श्रेणी की बाजार स्वीकार्यता को समझने के लिए बाजार मूल्यांकन अध्ययन कराया था जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडक्शन हॉब्स के लिए बाजार का आकार लगभग 40 लाख यूनिट होना अनुमानित था। इसके अतिरिक्त, प्राप्त बाजार आंकड़ों के आधार पर, यह सूचित किया गया था कि लगभग 60% यूनिटों को स्थानीय रूप से असेम्बल किया जा रहा है जबकि उनके घटक आयात किए जाते हैं, शेष 40% यूनिटों का पूर्ण असेम्बल्ड स्थिति में आयात किया जा रहा है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2230
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

'डिस्कॉम्स' का घाटा और उनकी बकाया देय राशि

2230. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनकॉस) को देय कुल बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और सभी हितधारकों के परामर्श लेकर भलीभांति विचार करके किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार बिजली की बकाया राशि को लेकर आमने-सामने हैं; और

(घ) क्या सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विद्युत की बकाया राशि की समस्या का निपटान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों द्वारा, फरवरी, 2022 के अंत में, प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिस्कॉमों से कुल देय राशि 1,00,931 करोड़ रूपये है। ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) खोलने और रख-रखाव हेतु लागू करने के लिए दिनांक 28 जून, 2019 को एक

आदेश जारी किया था। यह आदेश एनएलडीसी एवं आरएलडीसी को, जेनको एवं डिस्कॉम द्वारा एलसी खोले जाने की पुष्टि की सूचना देने के बाद ही विद्युत डिस्पैच करना अधिदेशित करता है। इन सुधार उपायों से डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, फलस्वरूप विद्युत उत्पादक कंपनियों (जेनकोज) की देय राशियों में कमी आएगी।

(ग) और (घ) : आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना सरकार की यूटीलिटियों द्वारा 6,111.88 करोड़ रूपये की विद्युत देयराशियों का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया है।

आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

i. ये विभाजन के बाद का प्रकरण है।
ii. विद्युत की आपूर्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच किए गए करार के अनुसार की गई है।
iii. आरंभ में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से आहरित की गई विद्युत के लिए आंध्र प्रदेश को भुगतान कर रहा था।
iv. आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना को विद्युत आपूर्ति के लिए भुगतान की जाने वाली मूल धनराशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा मूल धनराशि पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज में कुछ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दोनों राज्य विद्युत क्रय करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आंकड़ों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गए थे।
v. चूंकि तेलंगाना से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः आंध्र प्रदेश ने माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है।

चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, और विद्युत की आपूर्ति एक द्वि-पक्षीय करार के अंतर्गत की गई थी, अतः भारत सरकार ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे का आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का सुझाव दिया है। इस मामले में आगे सलाह लेने हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय को एक संदर्भ भी भेजा है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जेनकोज के प्रति राज्यों का अतिदेय (दिनांक 28.02.2022 तक प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)

(अतिदेय आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अतिदेय (करोड़ रूपये)
अरुणाचल प्रदेश	-
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	7538
असम	5
पश्चिम बंगाल	527
बिहार	684
चंडीगढ़	78
छत्तीसगढ़	121
दिल्ली	557
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	405
गुजरात	337
गोवा	9
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	754
जम्मू एवं कश्मीर	6863
झारखंड	3567
केरल	477
कर्नाटक	5240
मेघालय	548
महाराष्ट्र	19278
मणिपुर	45
मध्य प्रदेश	5243
मिजोरम	12
नागालैंड	-
ओडिशा	251
पंजाब	1326
पुदुचेरी	24
राजस्थान	10855
सिक्किम	48
तेलंगाना	6889
तमिलनाडु	19442
त्रिपुरा	146
उत्तर प्रदेश	9634
उत्तराखंड	6
कुल	**1,00,931**

(स्रोतः- प्राप्ति पोर्टल)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2231

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

'उजाला' और एसएलएनपी कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं

2231. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और राष्ट्रीय एलईडी पथ प्रकाश कार्यक्रम (एसएलएनपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत वितरित किए गए एलईडी बल्बों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने एलईडी बल्बों के विनिर्माताओं और वितरकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती कीमत पर ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 5 जनवरी, 2015 को उजाला [सभी के लिए किफायती लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) द्वारा उन्नत ज्योति] कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। यह कार्यक्रम वर्ष 2014 में एलईडी बल्बों के खुदरा मूल्य को 300-350 रुपए प्रति एलईडी बल्ब से कम करके, 3 वर्ष की अल्पावधि में, 70-80 रुपए प्रति बल्ब तक लाने में सफल रहा। उजाला कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) देश भर की आवश्यकताओं को समेकित करके एलईडी लाइटों की मांग में वृद्धि करना और नियमित थोक खरीद के माध्यम से विनिर्माताओं को इकानोमीज ऑफ स्केल प्रदान करना, जिससे विनिर्माताओं को न केवल उजाला कार्यक्रम के लिए बल्कि खुदरा क्षेत्र के लिए भी एलईडी बल्बों की लागत कम करने में मदद मिली है।

(ii) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती दरों पर अधिक दक्ष प्रकाश प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना जो उन्हें कम ऊर्जा बिल के माध्यम से लाभान्वित करते हैं, और साथ ही साथ बेहतर प्रदीपन के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

(iii) ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के वित्तीय और पर्यावरणीय लाभों पर उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि करना, और इस प्रकार ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार सृजित करना।

(iv) 36.79 करोड़ (दिनांक 16.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) एलईडी बल्बों के संवितरण के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 47,784 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई है, 9,566 मेगावाट की व्यस्ततम मांग में कमी आई है और प्रतिवर्ष 38.70 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है।

दिनांक 5 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) "प्रकाश पथ"- एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग को अपनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलना था। अखिल भारत में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। देश में ऊर्जा दक्षता के संदेश को प्रसारित करने और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार में परिवर्तन लाने के लिए यह पहल सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा थी। ईईएसएल ने पूरे भारत में एसएलएनपी को कार्यान्वित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), नगर निकायों, ग्राम पंचायतों (जीपी) तथा केंद्र और राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाया है। स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. ऊर्जा की खपत में कमी: लाइटिंग व्यवस्था में ऊर्जा की खपत को कम करना जिससे डिस्कॉमों को व्यस्ततम मांग के प्रबंधन में सहायता मिलती है।
ii. मांग एकत्रीकरण के माध्यम से कम मूल्य निर्धारण द्वारा बाजार परिवर्तन और सोडियम वेपॉर /फ्लोरोसेंट लाइटिंग से एलईडी आधारित सॉलिड स्टेट लाइटिंग में खरीद वरीयता को प्रतिस्थापित करना।
iii. ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मॉडल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना: इस मॉडल के तहत, एलईडी से ईएससीओ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी लागत (नगर पालिकाओं को निवेश करने की आवश्यकता के बिना) पर बदल देता है तथा परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में कमी होती है और एक निर्धारित समय में नगर पालिका की अनुरक्षण लागत का उपयोग ईएससीओ के पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है।
iv. ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: ऊर्जा दक्ष एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटों को कार्यान्वित करके जलवायु परिवर्तन को कम करना जिसके परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जनों में कमी आई है। ऊर्जा की तीव्रता में भी कमी करना जिससे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों का समर्थन किया जा सके।
v. बेहतर प्रदीपन के माध्यम से ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी संस्थापनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में बचाव एवं सुरक्षा में सुधार करना।
vi. प्रगति एवं प्रभाव: अब तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा ग्राम पंचायतों में 1.23 करोड़ (दिनांक 16.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 8516.7 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई है, 1419.45 मेगावाट की व्यस्ततम मांग में कमी आई है और प्रतिवर्ष 5.87 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुई है।

(ख) और (ग) : देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उजाला तथा एसएलएनपी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईईएसएल द्वारा वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या **अनुबंध-III** पर दी गई है।

(घ) : इन कार्यक्रमों के लिए एक उन्नत तरीके से मांग एकत्रीकरण की योजना बनाई गई थी जो घरेलू विनिर्माताओं को अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में प्रोत्साहक के रूप में कार्य करती है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 22.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उजाला के राज्य-वार संस्थापना ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की संख्या (दिनांक 11.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)
1.	अंडमान और निकोबार	4,00,000
2.	आंध्र प्रदेश	2,20,39,295
3.	अरुणाचल प्रदेश	4,99,498
4.	असम	71,84,998
5.	बिहार	1,96,08,609
6.	चंडीगढ़	5,54,283
7.	छत्तीसगढ़	1,08,22,335
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,06,431
9.	दिल्ली	1,33,59,504
10.	गोवा	10,05,890
11.	गुजरात	4,14,48,713
12.	हरियाणा	1,56,08,118
13.	हिमाचल प्रदेश	86,44,232
14.	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख*	87,17,209
15.	झारखंड	1,36,45,874
16.	कर्नाटक	2,42,62,841
17.	केरल	1,54,29,919
18.	लक्षद्वीप	2,00,000
19.	मध्य प्रदेश	1,75,74,110
20.	महाराष्ट्र	2,19,86,569
21.	मणिपुर	2,99,934
22.	मेघालय	4,33,789
23.	मिजोरम	6,15,332
24.	नागालैंड	10,99,038
25.	ओडिशा	5,22,70,570
26.	पुदुचेरी	6,09,251
27.	पंजाब	30,10,852
28.	राजस्थान	1,73,21,034
29.	सिक्किम	1,64,000
30.	तमिलनाडु	43,63,183
31.	तेलंगाना	21,88,948
32.	त्रिपुरा	10,54,437
33.	उत्तर प्रदेश	2,62,94,218
34.	उत्तराखंड	56,73,817
35.	पश्चिम बंगाल	92,29,228
कुल		**36,79,26,060**

*दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से दिखाए गए वितरण आंकड़े

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 22.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एसएलएनपी के राज्य-वार संस्थापना ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या (दिनांक 11.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	2939074
2	तेलंगाना	1390733
3	तमिलनाडु	7876
4	पोर्ट ब्लेयर- ए एंड एन	14995
5	महाराष्ट्र	1047324
6	केरल	402609
7	कर्नाटक	13102
8	गोवा	207110
9	लक्षद्वीप	1000
10	पश्चिम बंगाल	84230
11	झारखंड	516043
12	बिहार	557395
13	राजस्थान	1069768
14	गुजरात	889986
15	उत्तर प्रदेश	1260773
16	उत्तराखंड	121489
17	छत्तीसगढ़	377989
18	ओडिशा	339981
19	मध्य प्रदेश	212956
20	दिल्ली	367891
21	जम्मू और कश्मीर	151390
22	हिमाचल प्रदेश	61689
23	पंजाब	122518
24	चंडीगढ़	46496
25	हरियाणा	84693
26	सिक्किम	868
27	त्रिपुरा	76426
28	असम	28695
29	पुदुचेरी	1520
कुल		**1,23,96,619**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 22.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ईईएसएल द्वारा वितरित एलईडी बल्बों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-2019	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तीय वर्ष 2020-2021	वित्तीय वर्ष 2021-22
1.	आंध्र प्रदेश	164,182	9,400	1,884	7,025
2.	अरुणाचल प्रदेश	151,105	100	548	1,635
3.	असम	4,949,693	97,065	111,623	8,310
4.	बिहार	1,818,123	305,093	102,199	37,188
5.	चंडीगढ़	105,458	12,291	-	68,894
6.	छत्तीसगढ़	878,099	132,162	300,901	24,289
7.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	46,588	30,754	3125	57,381
8.	दिल्ली	448,335	250,461	8,600	69,695
9.	गोवा	78,777	55,000	730	-
10.	गुजरात	2,282,968	340,164	223,660	57,476
11.	हरियाणा	771,489	81,780	17,568	19701
12.	हिमाचल	338,028	229,508	138,604	43,513
13.	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख*	605,342	79273	2,00,394	-
14.	झारखंड	1,429,828	137,413	336,581	
15.	कर्नाटक	2,748,857	1,210,006	616,239	1,57,501
16.	केरल	274,627	135,423	29,103	7,912
17.	मध्य प्रदेश	498,687	156,815	83,232	39,939
18.	महाराष्ट्र	259,605	33,862	11,638	2,508
19.	मणिपुर	147,926	25,000	-	
20.	मेघालय	93,463	-	-	
21.	मिजोरम	42,741	25	15	67
22.	नागालैंड	183,637	47,777		
23.	ओडिशा	32,343,477	7,142,578	57,449	6,450
24.	पुदुचेरी	24,696	-	-	-
25.	पंजाब	301,128	118,516	1,573,333	29,233
26.	राजस्थान	1,508,025	333,270	92,305	32,447
27.	सिक्किम	58,842	-	-	-
28.	तमिलनाडु	1,844,325	419,661	148,044	2,104
29.	तेलंगाना	260,081	6,978	36,591	2,450
30.	त्रिपुरा	290,635	9,046	15,605	7,463
31.	उत्तर प्रदेश	1,705,026	248,518	80,558	44,709
32.	उत्तराखंड	629,772	229,701	60,262	26,356
33.	पश्चिम बंगाल	539,923	57,160	50,000	-
कुल		**57,823,488**	**11,934,800**	**4,300,791**	**7,54,246**

*दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से दिखाए गए वितरण आंकड़े

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2232
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन

2232. श्री मुजीबुल्ला खान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या मंत्रालय राज्य आयोगों को उनकी संबंधित आपूर्ति संहिताओं में शामिल करने के लिए या इस संबंध में अलग-अलग विनियम जारी करने के लिए और लाइसेंसधारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान किए जाने का प्रावधान करने के लिए नियमों और दिशा-निर्देशों को विनिर्दिष्ट करने हेतु विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में उपयुक्त संशोधन करेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 को विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए। ये नियम इस धारणा से उत्पन्न होते हैं कि विद्युत प्रणालियों का अस्तित्व उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपयोगी होने और विश्वसनीय सेवाएं तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने के उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है।

दिनांक 31.12.2020 के विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम 12 और नियम 13 में वितरण लाइसेंसधारी के लिए निष्पादन के मानक और उपभोक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले मुआवजा तंत्र को भी अधिसूचित करने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18.01.2021 के पत्र द्वारा सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसीज) तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसीज) से इन नियमों के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने और, यदि आवश्यक हो तो, संगत विनियमों में संशोधन करने अथवा नए विनियम तैयार करने का अनुरोध किया।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2233

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी

2233. श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021-22 में बिजली घरों से निकलने वाले काले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड को रोकने के लिए कितनी बिजली कंपनियों ने नई प्रौद्योगिकी संस्थापित की है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश स्थित कोयला बिजलीघरों में सल्फर नियंत्रक प्रौद्योगिकी संस्थापित करने में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : अब तक, सात विद्युत कंपनियों ने ताप विद्युत संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 20 विद्युत संयंत्र इकाइयों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफ़जीडी) संस्थापित की है। इनमें से 16 इकाइयों ने आद्र फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रौद्योगिकी संस्थापित की है और 4 इकाइयों ने शुष्क सोरबेंट इंजेक्शन (डीएसआई) प्रौद्योगिकी संस्थापित की है। इन सभी 20 इकाइयों ने वर्ष 2021-22 से पहले उक्त प्रौद्योगिकी को संस्थापित कर लिया है।

(ख और (ग) : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और एनटीपीसी ने सूचित किया है कि वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित उनके कोयला विद्युत संयंत्र में सल्फर नियंत्रण प्रौद्योगिकी संस्थापित करते समय किसी प्रकार की अनसुलझी तकनीकी समस्याएं नहीं हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2234
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत शामिल ग्रामीण परिवार

2234. श्री इरण्ण कडाडि:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कितने ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय का अगले तीन वर्षों में कोयला आधारित ऊर्जा के उपयोग को किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य है; और

(ग) कोयला-आधारित ऊर्जा के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की ओर अग्रसर होने के कारण खुदरा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देश भर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों को 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

भारत सरकार ने देश में मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरु की। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। तदोपरांत, सात राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया था कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों, जो पहले अनिच्छुक थे, किन्तु अब विद्युत कनेक्शन लेने की इच्छा व्यक्त की है, अब उनका विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसकी भी संस्वीकृति दे दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार

100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। तत्पश्चात, कुछ राज्यों ने सूचित किया कि 11.84 लाख घर विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। इनकी भी संस्वीकृति दी गई थी, जिसके निमित्त 4.34 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तद्नुसार, आज तक की स्थिति के अनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 में कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा ऊर्जा सम्मिश्र में 52% की वर्तमान हिस्सेदारी की तुलना में लगभग 32% होगा।

(ग) : खुदरा उपभोक्ता टैरिफ विद्युत की लागत सहित कई विवेकपूर्ण लागतों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य विनियामकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण से, नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में काफी कमी आई है और सौर ऊर्जा के लिए सबसे कम निकाला गया टैरिफ 1.99 प्रतिशत रहा है जो कई कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के ऊर्जा प्रभार से कम है।

सरकार ने ताप और जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बंडलिंग स्कीम भी जारी की है। इससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की कुल लागत में भी कमी आएगी।

सरकार हरित ऊर्जा कॉरीडोरों के निर्माण और कुसुम स्कीम के अंतर्गत कृषि फीडरों/पम्प सेटों के सौरीकरण हेतु अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2234 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृति और उपलब्धि

सौभाग्य की मूल संस्वीकृति				सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियों की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर					कुल जोड़
क्रम सं.	राज्यों के नाम	पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	संपूर्ण प्रमाणपत्र की तारीख	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत सूचित किए गए घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर	डिस्कॉम	संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत निधि (करोड़ रु. में)	संस्वीकृत घर	दिनांक 07.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930		0	181,930						181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	12-मार्च-19	0	47,089	एपीडीए	02.08.2021	39.3	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	24-जनवरी-19	200,000	1,945,149	एपीडीसीएल	13.07.2021	1718.19	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	25-अक्तूबर-18	0	3,259,041						3,259,041
5	छतीसगढ़	749,397	17-अगस्त-21	40,394	789,791	सीएसपीडीसीएल	02.08.2021	82.85	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317		0	41,317						41,317
7	हरियाणा	54,681	7-दिसंबर-18	0	54,681						54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	30-नवंबर-18	0	12,891						12,891
9	जम्मू और कश्मीर	377,045	27-अक्तूबर-18	0	377,045						377,045
10	झारखंड	1,530,708	26-दिसंबर-18	200,000	1,730,708						1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	31-जनवरी-19	26,824	383,798						383,798
12	लद्दाख	10,456	27-अक्तूबर-18	0	10,456						10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	22-अक्तूबर-18	0	1,984,264	एमपीपीओकेवीवीसीएल	02.08.2021	264.4	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	27-दिसंबर-18	0	1,517,922						1,517,922
15	मणिपुर	102,748	20-दिसंबर-18	5,367	108,115	एमएसपीडीसीएल	02.08.2021	100.98	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	24-जनवरी-19	0	199,839	विद्युत विभाग	02.08.2021	35.05	7009	488	200,327

17	मिजोरम	27,970	24-नवंबर-18	0	27,970						27,970
18	नागालैंड	132,507	18-दिसंबर-18	0	132,507	विद्युत विभाग	13.07.2021	2.1	420	401	132,908
19	ओडिशा	2,452,444	31-दिसंबर-18	0	2,452,444						2,452,444
20	पुदुचेरी*	912		0	912						912
21	पंजाब	3,477	13-दिसंबर-18	0	3,477						3,477
22	राजस्थान (जयपुर)	1,862,736	16-अक्तूबर-18	212,786	2,075,522	एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल	13.07.2021	1022.4	210843	48714	2,124,236
23	सिक्किम	14,900	26-नवंबर-18	0	14,900						14,900
24	तमिलनाडु*	2,170		0	2,170						2,170
25	तेलंगाना	515,084	14-नवंबर-18	0	515,084						515,084
26	त्रिपुरा	139,090	27-नवंबर-18	0	139,090						139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	31-दिसंबर-18	1,200,003	9,180,571	डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल	13.07.2021	836.31	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	30-नवंबर-18	0	248,751						248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	26-नवंबर-18	0	732,290						732,290
कुल		**26,284,350**		**1,885,374**	**28,169,724**	**-**	**-**	**4,102**	**1,183,870**	**433,687**	**28,603,411**
* सौभाग्य से पहले विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं											

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2235

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

'गो इलेक्ट्रिक' अभियान

2235. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात बिल को कम करने में सहायता करने के लिए हाल ही में 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहल से देश को एक स्वच्छ और हरित भविष्य सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2021 को "गो इलेक्ट्रिक" अभियान आरंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य, विद्युत वाहनों, तथा इलेक्ट्रिकल कुकिंग की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न शुरूआतों सहित, विद्युत वाहनों (ईवी) में परिवर्तित किए जाने के लाभों के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है। इस अभियान को राज्यों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को रोल आउट करने से संबंधित समन्वयक गतिविधियों के लिए राज्यों द्वारा नामित राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनएज) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत, जनसाधारण से जुड़ने और इलेक्ट्रिक की ओर गमन का संदेश प्रसारित करने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनारों, तकनीकी चर्चाओं, संगोष्ठियों, रोड शो आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के परिणामस्वरूप अगले दशक में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा नए वाहन खरीदते समय ईवीज को प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाने से कच्चे तेल के आयात के बिल में कमी आएगी।

(ग) और (घ) : विद्युत वाहनों (ईवीज) से उत्सर्जन नहीं होता। ईवीज को ऑन बोर्ड बैटरियों को चार्ज करने के लिए ग्रिड से विद्युत की आवश्यकता होती है। नवीकरणीय ऊर्जा की तीव्र वृद्धि होने से, समग्र विद्युत सम्मिश्रण में कम थर्मल उत्पादन होने की संभावना है, जिससे भविष्य में कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता न्यूनतम होगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2236

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में समस्याएं

2236. डॉ. अमी याज्ञिक:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा क्षेत्र में कई मंत्रालयों और एजेंसियों की भागीदारी के कारण ऊर्जा प्रबंधन, समन्वय और संसाधन के इष्टतम उपयोग में समस्याएं उत्पन्न होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को एक साथ लाने की योजना बना रही है;

(ग) विद्युत पारेषण और वितरण में हुए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां बढ़ रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

एटीएंडसी हानियों में कमी विभिन्न राज्यों की संबंधित वितरण यूटिलिटियों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उदय के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने और एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से, एक सुधार-आधारित और स्कीम से जुड़ी स्कीम 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम' शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को वर्ष 2024-25 तक शून्य तक लाना है।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 'अवसंरचना-ऊर्जा' क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया सकल एनपीए दिनांक 31/03/2018 को 1,27,296 करोड़ रुपये से घटकर दिनांक 31/12/2021 को 39,449 करोड़ रुपये हो गया है। आरबीआई ने इसके बाद यह सूचित किया है कि राज्य-वार सूचना का एकत्रण/रखरखाव नहीं किया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2236 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल एटी एंड सी हानि (प्रतिशत में)

	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	58.36	55.50	45.71
असम	17.64	20.14	23.37
बिहार	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़	4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ	22.50	29.81	23.68
दादरा और नगर हवेली	6.55	5.45	3.56
दमन और दीव	17.01	6.19	4.07
गोवा	13.52	15.69	13.99
गुजरात	12.96	13.99	11.95
हरयाणा	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	11.08	12.46	11.68
जम्मू और कश्मीर	53.67	49.94	60.46
झारखंड	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	15.61	19.83	17.59
केरल	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप	19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	27.50	38.17	20.27
मेघालय	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	41.36	40.06	52.93
ओडिशा	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	19.19	19.77	18.45
पंजाब	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	**9.36**	**8.28**	**8.00**
दिल्ली (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल)	9.93	9.17	8.19
गुजरात (टोरेंट अहमदाबाद और सूरत)	6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र (एईएमएल)		8.20	9.52
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)	9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल (सीईएससी और आईपीसीएल)	10.74	8.95	9.06
कुल योग	**21.50**	**21.74**	**20.93**

(स्रोत: पीएफसी द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित राज्य विद्युत यूटीलिटियों का वर्ष 2019-20 के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट)

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2237
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विभिन्न साधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

2237. श्री जॉन ब्रिटास:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न प्रकार के विद्युत उत्पादन के इष्टतम संतुलन के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) जल, तापीय, नाभिकीय और गैर-पारंपरिक तरीकों से उत्पन्न की जाने वाली बिजली का अनुपात कितना-कितना है; और

(ग) विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की औसत लागत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सरकारी नीतिगत उपाय विद्युत की मांग को पूरा करने और विद्युत क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर केंद्रित है। इसके लिए, सरकार ने विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं। चूंकि सौर और पवन, जो नवीकरणीय उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं, की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इन नीतिगत उपायों का कार्य भंडारण आधारित जलविद्युत और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के द्वारा ऐसे बदलाव को संतुलित करना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, ऊर्जा पारगमन तथा सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2030 तक इष्टतम उत्पादन सम्मिश्र के निर्धारण के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2022 तक) के दौरान जलविद्युत, ताप, परमाणु और गैर-पारंपरिक से उत्पन्न विद्युत का अनुपात **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : विभिन्न धाराओं में विद्युत उत्पादन की औसत लागत का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक (जनवरी, 2022 तक) विद्युत के स्रोत-वार (पारंपरिक एवं नवीकरणीय) उत्पादन और उनके अनुपात का विवरण

स्रोत श्रेणी	उत्पादन (एमयू)			
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जनवरी, 2022 तक)
थर्मल	1072224	1042748	1032514	913021.82
न्युक्लियर	37812.59	46472.45	43029.08	38894.1
हाइड्रो (25 मेगावाट एवं उससे अधिक)	134893.6	155769.1	150299.5	133610.06
भूटान से आयात	4406.62	5794.48	8765.5	7291.8
कुल (पारंपरिक)	1249337	1250784	1234608	1092817.78
गैर-पारंपरिक	126759.1	138337	147247.5	141938.55
कुल (पारंपरिक+गैर-पारंपरिक)	1376096	1389121	1381855	1234756.33
थर्मल का %	**77.92**	**75.07**	**74.72**	**73.94**
न्युक्लियर का %	**2.75**	**3.35**	**3.11**	**3.15**
हाइड्रो का %	**9.80**	**11.21**	**10.88**	**10.82**
गैर-पारंपरिक का %	**9.21**	**9.96**	**10.66**	**11.50**

टिप्पणी:

1. केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के पारंपरिक स्रोत (ताप, न्यूक्लियर और जलविद्युत) स्टेशनों से सकल उत्पादन।
2. गैर-पारंपरिक स्रोतों (पवन, सौर, बायोमास, खोई, लघु जलविद्युत और अन्य) से सकल उत्पादन

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत की बिक्री की भारित औसत दर (डब्ल्यूएआरएसपी)

क्र.सं.	**उत्पादन का तरीका/श्रेणी**	**डब्ल्यूएआरएसपी (पैसा/केडब्ल्यूएच) 2019-20**
1	हाइड्रो	271.48
2	थर्मल	395.78
3	न्युक्लियर	314.33
	अखिल भारत (सभी श्रेणी)	**378.31**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2238

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

देश भर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई जान-माल की हानि

2238. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में प्रत्येक वर्ष शॉर्ट सर्किट के कारण जान-माल का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप' पहल के अंतर्गत शॉर्ट सर्किट और करंट लगने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी योजना/उपकरण तैयार/विकसित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली जान-माल की हानि को रोकने के लिए सरकारी संस्थानों जैसे विद्यालयों, अस्पतालों आदि में बिजली के झटके से बचाव यंत्र जैसे कोई उपकरण संस्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विभिन्न विद्युत यूटीलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान बिजली से हुई दुर्घटनाओं की संख्या और मृतक अथवा घायल व्यक्तियों/पशुओं की संख्या के ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं। विद्युत यूटीलिटियों द्वारा बिजली से हुई दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति को हुई हानि का आंकड़े सूचित नहीं किए गए हैं।

(ग) : लागू विनियमों और तकनीकी मानकों के अनुसार प्रणाली में सुरक्षा एवं बचाव उपकरण प्रदान किए जाने अपेक्षित हैं। आम तौर पर प्रयोग किए जा रहे अपेक्षित सुरक्षा एवं बचाव उपकरणों का भारत में संबंधित भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा विनिर्माण किया जाता है।

(घ) और (ङ) : सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में अर्थिंग की खराबी अथवा करंट लीक करने की घटना होने पर, जनहानि से बचने के लिए, आपूर्ति को तुरंत डिस्कनेक्ट करने की व्यवस्था है। विनियमों में अधिदेशित है कि ऐसे प्रत्येक विद्युत प्रतिष्ठान, जिनकी वोल्टेज 5 किलोवाट के नीचे 250 वोल्ट से अधिक न हो, के अलावा और ऐसे प्रतिष्ठान जिनकी वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक न हो, जिनपर अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान लागू नहीं होते, को विद्युत की आपूर्ति एक अर्थ लीकेज सुरक्षा उपकरण द्वारा नियंत्रित की जाएगी ताकि अर्थिंग की खराबी अथवा करंट लीक करने की स्थिति में आपूर्ति तुरंत डिस्कनेक्ट की जा सके।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2238 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2018-19 के लिए राज्यवार आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन स्टेशन /पारेषण / वितरण												उपभोक्ताओं के औद्योगिक प्रतिष्ठान								औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान												कुल दुर्घटनाएं
	उत्पादन स्टेशन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व				व्यक्ति (यों)				
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	
पश्चिमी क्षेत्र																																	
मध्य प्रदेश	0	2	0	0	7	1	4	0	182	81	72	0	0	0	0	0	4	3	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	88	7	4	0	471
महाराष्ट्र	0	3	1	0	12	21	3	0	600	551	1078	5	10	3	2	0	29	7	3	0	31	8	12	0	59	10	5	0	577	54	45	1	3130
छत्तीसगढ़	0	1	0	0	24	24	37	0	90	42	259	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	18	1	0	0	48	2	6	0	558
गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0	2	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24
गुजरात	2	2	0	0	36	45	39	0	201	160	285	0	2	0	1	0	71	9	0	0	12	2	10	0	34	5	6	0	227	8	7	0	1164
																													कुल				5347
दक्षिणी क्षेत्र																																	
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	558	143	496	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	3	0	0	1255
कर्नाटक	0	0	0	0	1476								1	0	0	0	4	0	0	0	3	2	1	0	25	1	1	0	0	0	0	0	1514
केरल	0	2	0	0	3	10	1	0	105	108	55	0	1	0	0	0	14	4	2	0	1	1	2	0	10	3	1	0	115	30	17	0	485
तमिलनाडु	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
तेलंगाना	0	0	0	0	3	1	0	0	28	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
																													कुल				3334
पूर्वोत्तर क्षेत्र																																	
असम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
मिजोरम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
नागालैंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
मणिपुर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
मेघालय	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
त्रिपुरा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
अरुणाचल प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
																													Total				0
पूर्वी क्षेत्र																																	
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	112	86	20	0	1	0	0	0	27	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257
बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	80	8	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
सिक्किम	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ओडिशा	0	4	0	0	2	1	0	0	73	21	89	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	224
																													कुल				614
उत्तरी क्षेत्र																																	
हरियाणा	-	-	-	-	6	4	-	-	116	40	46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	20	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
जम्मू एवं कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
पंजाब	-	-	-	-	3	3	-	-	69	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
राजस्थान	-	-	-	-	16	16	-	-	22	37	43	-	7	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	20	-	171
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	10	15	30	-	1014	331	1502	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	1	-	1	-	43	4	4	1	2969
उत्तराखंड	3	-	-	-	3	3	-	-	61	45	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	183
दिल्ली	-	-	-	-	2	2	-	-	29	17	4	-	4	-	-	-	27	3	-	-	2	-	-	-	31	7	-	-	43	-	1	-	172
																													कुल				3902
अन्य																																	
खानों	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
केंद्र सरकार अधिष्ठापन	1	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	43	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	7	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
																													कुल				118
संघ राज्य क्षेत्र																																	
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
पुदुचेरी	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	5	4	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	9
चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
																													कुल				13
																													अखिल भारत कुल				13328

अखिल भारतीय विद्युत दुर्घटनाएं

2019-20 के लिए राज्यवार आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन स्टेशन /पारेषण / वितरण												उपभोक्ताओं के औद्योगिक प्रतिष्ठान								औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान												कुल दुर्घटनाएं
	उत्पादन स्टेशन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व				व्यक्ति (यों)				
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	
पश्चिमी क्षेत्र																																	
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	208	74	220	2	1	1	0	0	3	0	0	0	24	3	4	0	1	0	0	0	165	18	30	0	755
महाराष्ट्र	1	3	0	0	20	26	3	0	705	637	1944	5	4	2	2	0	37	4	0	0	56	10	27	0	62	6	2	0	561	55	95	0	4267
छत्तीसगढ़	0	4	0	0	35	16	19	0	85	33	260	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	10	0	2	0	45	5	4	0	527
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
गुजरात	1	0	0	0	47	54	56	0	254	139	414	0	11	4	0	0	37	5	0	0	5	4	14	0	64	7	3	0	221	13	5	0	1358
																													कुल				6939
दक्षिणी क्षेत्र																																	
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	292	53	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	7	5	0	710
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	9	2	8	0	23	7	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	55
केरल	1	0	0	0	3	4	0	0	90	119	41	2	0	1	0	0	4	1	1	0	0	5	5	1	6	0	0	0	118	19	13	0	434
तमिलनाडु	0	0	0	0	61	57	16	0	86	44	42	0	0	1	0	0	13	1	0	0	0	1	0	0	79	6	13	0	12	0	0	0	432
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	80
																													कुल				1711
पूर्वोत्तर																																	
असम	0	0	0	0	5	6	0	0	68	24	24	77	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	7	4	0	0	225
मिजोरम	घातक:- 29, गैर-घातक:-28																																57
नागालैंड	घातक:- 01, गैर-घातक:-03																																4
मणिपुर	घातक:- 06, गैर-घातक:-06																																12
मेघालय	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
त्रिपुरा	2	9	7	0	0	2	0	0	0	4	5	0	0	0	5	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	6	4	0	0	0	0	0	55
अरुणाचल प्रदेश	घातक:- 29, गैर-घातक:-28																																57
																													कुल				410
पूर्वी क्षेत्र																																	
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	48	31	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	61	14	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
सिक्किम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
ओडिशा	1	0	0	0	1	0	0	0	138	62	37	2	0	0	0	0	1	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	31	2	3	0	287
																													कुल				498
उत्तरी क्षेत्र																																	
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	113	35	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	179
हिमाचल प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
जम्मू एवं कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
पंजाब	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
राजस्थान	0	0	0	0	19	17	13	0	28	35	41	0	19	13	3	0	6	3	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	78	68	75	0	424
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	18	9	15	0	1132	479	2021	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	56	6	1	0	3753
उत्तराखंड	0	0	0	0	2	0	0	0	53	38	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
दिल्ली	0	0	0	0	3	2	0	0	16	13	2	0	1	0	0	0	20	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	75	3	1	0	140
																													कुल				4640
अन्य																																	
खानों	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
केंद्र सरकार अधिष्ठापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
रेलवे	0	0	0	0	0	2	0	0	27	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
																													कुल				97
संघ राज्य क्षेत्र																																	
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	8
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	113	35	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	179
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
																													कुल				195
																					अखिल भारत कुल											14490

अखिल भारतीय विद्युत दुर्घटनाएं

2020-21 के लिए राज्यवार आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन स्टेशन /पारेषण / वितरण												उपभोक्ताओं के औद्योगिक प्रतिष्ठान								औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान												कुल दुर्घटनाएं
	उत्पादन स्टेशन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व में				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकायों/स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व में				निजी कंपनियों के स्वामित्व में				व्यक्ति (यों)				
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	
पश्चिमी क्षेत्र																																	
मध्य प्रदेश	ब्रेक अप एनए है																																629
महाराष्ट्र	0	0	15	17	10	18	1	3	730	540	1186	5	2	o	9	0	25	3	0	0	31	2	9	0	33	2	0	0	584	24	52	0	3301
छत्तीसगढ़	28	2	45	0	28	22	87	0	105	30	144	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	69	5	3	0	575
गोवा	0	0	0	0	1	2	0	0	2	15	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
गुजरात	0	3	0	0	22	51	63	0	261	146	318	0	4	1	2	0	31	1	0	0	5	0	10	0	47	9	3	0	264	4	0	0	1245
																													कुल				5774
दक्षिणी क्षेत्र																																	
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	383	90	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	0	0	912
कर्नाटक	0	0	0	0	2	2	0	0	446	230	687	0	0	0	0	0	2	2	0	0	7	0	21	0	34	4	6	0	4	0	0	0	1447
केरल	0	0	0	0	1	3	0	0	104	136	47	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	2	0	0	3	1	0	0	129	21	13	0	466
तमिलनाडु	1	0	0	0	40	18	56	2	141	55	29	0	5	1	3	0	33	4	1	0	9	0	0	0	54	4	5	0	38	4	0	0	503
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	51	9	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	10	0	17	1	26	0	245
																													कुल				3573
पूर्वोत्तर क्षेत्र																																	
असम	0	0	0	0	10	2	14	0	50	20	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	155
मिजोरम	घातकः 13, गैर-घातकः 20																																33
नागालैंड	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	1	2	0	0	14	2	5	0	1	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	0	0	50
अरुणाचल प्रदेश	घातक: 06, गैर-घातक: 270																																276
																													कुल				532
पूर्वी क्षेत्र																																	
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	47	45	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
झारखंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ओडिशा	0	0	0	0	10	0	0	0	109	50	40	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	2	0	0	1	0	0	10	1	0	0	231
																													कुल				351
उत्तरी क्षेत्र																																	
हरियाणा	17	4	7	0	1	0	0	0	145	73	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	290
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	2	0	0	13	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	69
जम्मू एवं कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
पंजाब	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
राजस्थान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	17	5	23	0	1113	356	1617	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	0	9	0	0	0	63	15	8	0	3248
उत्तराखंड	0	0	0	0	35	29	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
दिल्ली	0	0	0	0	2	6	1	0	11	21	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	11	2	0	0	53	4	0	0	125
																													कुल				3852
अन्य																																	
खानों	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
केंद्र सरकार अधिष्ठापन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
रेलवे	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0
																													कुल				2
संघ राज्य क्षेत्र																																	
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
																													कुल				12
																					अखिल भारत कुल											14096

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2239
जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिहार के लिए बिजली के बिल में विसंगति

2239. श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ बिजली घर के चरण-2 की इकाई-4 से एनटीपीसी ने 16 माह के लिए इन्फर्म बिजली की जगह फर्म बिजली की बिलिंग कर दी है;

(ख) क्या यह सच है कि बिल की इस प्रकार से गणना करने के कारण बिहार को 564.85 करोड़ रुपये की बजाय 2,424 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार ने ब्याज सहित 2600 करोड़ रुपये के प्रतिदेय का दावा किया है;

(घ) अब तक बिहार पर बिजली कंपनियों की कितनी बकाया राशि है; और

(ङ) क्या सरकार बकाया राशि का समायोजन भुगतान की गई अतिरिक्त राशि से करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : बाढ़ चरण-II की यूनिट-4 को दिनांक 15.11.2014 को वाणिज्यिक घोषित करने के बाद, एनटीपीसी, सीईआरसी टैरिफ विनियमों तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के बीच हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में दायर याचिका के अनुसार बिलों को (अर्थात् निश्चित लागत तथा परिवर्तनीय लागत आदि) तैयार कर रहा था। उस समय, इसे फर्म विद्युत के रूप में बिल किया गया था।

तथापि, बाद में सीईआरसी ने अपने दिनांक 20.09.2017 के आदेश द्वारा बाढ़-II यूनिट-4 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को दिनांक 15.11.2014 से संशोधित कर दिनांक 08.03.2016 कर दिया। उपर्युक्त आदेश में, सीईआरसी का कथन था कि दिनांक 08.03.2016 से पहले यूनिट-4 के संबंध में एनटीपीसी द्वारा इंजेक्ट की गई विद्युत को, इस अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा विद्युत के शेड्यूल किए जाने के बावजूद इनफर्म विद्युत

माना जाएगा। दिनांक 15.11.2014 से दिनांक 07.03.2016 तक इनफर्म विद्युत की बिक्री से ईंधन की लागत से अधिक अर्जित राजस्व को पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भावी आपूर्तियों के लिए टैरिफ में कमी होगी।

उपर्युक्त सीईआरसी आदेश के अनुसार, इनफर्म विद्युत की बिक्री से ईंधन की लागत से अधिक अर्जित राजस्व को पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाना है और इसे लाभार्थियों को पुनर्भुगतान नहीं किया जाना है। सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.03.2019 के आदेश में यही सिद्धांत दोहराया गया था।

कुछ लाभार्थियों ने पूंजीगत लागत से धनराशि के समायोजन से संबंधित सीईआरसी के आदेश को विद्युत अपील अधिकरण (एपटेल) में चुनौती दी। इस संबंध में एपटेल ने सीईआरसी के आदेश को कायम रखा है। एपटेल के इस निर्णय के विरुद्ध, ग्रिडको एवं बिहार सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की है और यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

(घ) : एनटीपीसी के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा एनटीपीसी और इसके संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निम्नलिखित धनराशि भुगतानयोग्य हैः

कंपनी	**दिनांक 10.03.2022 तक भुगतानयोग्य कुल धनराशि (करोड़ रूपये में)**	**45 दिन के बाद भुगतानयोग्य धनराशि (करोड़ रूपये में)**
एनटीपीसी	1049	शून्य
केबीयूएनएल (सहायक कंपनी)	964	601
बीआरबीसीएल (सहायक कंपनी)	192	138
एनपीजीसीएल (सहायक कंपनी)	1168	589
कुल	**3373**	**1328**

(ङ) : जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, यह मामला न्यायाधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2240

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

'डिस्कॉम' के लिए पुनर्वास पैकेज

2240. श्री वाई. एस. चौधरी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनकॉस) के देय कुल बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और सभी हितधारकों के परामर्श लेकर भलीभांति विचार करके किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नियामक संपत्ति और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को छोड़कर अब तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त किए गए औसत राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में सभी विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स के संचित नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय संकट से उबरने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को प्रदान किए जा रहे राहत/पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों द्वारा, फरवरी, 2022 के अंत में, प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिस्कॉमों से कुल देय राशि 1,00,931 करोड़ रूपये है। ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) खोलने और रख-रखाव हेतु लागू करने के लिए दिनांक 28 जून, 2019 को एक आदेश जारी किया था। यह आदेश एनएलडीसी एवं आरएलडीसी को, जेनको एवं डिस्कॉम द्वारा एलसी खोले जाने की पुष्टि की सूचना देने के बाद ही विद्युत डिस्पैच करना अधिदेशित करता है। इन सुधार उपायों से डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, फलस्वरूप विद्युत उत्पादक कंपनियों (जेनकोज) की देय राशियों में कमी आएगी।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटीलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट 2019-20" में उपलब्ध सूचना के आधार पर, टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर) और देश में सभी डिस्कॉमों (राज्य-वार) की संचित हानियों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जेनकोज के प्रति राज्यों का अतिदेय (दिनांक 28.02.22 तक प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)

(अतिदेय आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अतिदेय (करोड़ रूपये)
अरुणाचल प्रदेश	-
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	7538
असम	5
पश्चिम बंगाल	527
बिहार	684
चंडीगढ़	78
छत्तीसगढ	121
दिल्ली	557
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	405
गुजरात	337
गोवा	9
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	754
जम्मू एवं कश्मीर	6863
झारखंड	3567
केरल	477
कर्नाटक	5240
मेघालय	548
महाराष्ट्र	19278
मणिपुर	45
मध्य प्रदेश	5243
मिजोरम	12
नागालैंड	-
उड़ीसा	251
पंजाब	1326
पुद्दुचेरी	24
राजस्थान	10855
सिक्किम	48
तेलंगाना	6889
तमिलनाडु	19442
त्रिपुरा	146
उत्तर प्रदेश	9634
उत्तराखंड	6
कुल	**1,00,931**

(स्रोतः- प्राप्ति पोर्टल)

****

<u>अनुबंध-II</u>

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

<u>प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एसीएस-एआरआर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)</u>

	2017-18			2018-19			2019-20		
	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (नियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (नियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	एसीएस	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी पर एआरआर (नियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)
राज्य क्षेत्र	**5.46**	**4.90**	**0.55**	**5.97**	**5.21**	**0.76**	**6.11**	**5.46**	**0.65**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**24.65**	**4.79**	**19.86**	**24.22**	**4.75**	**19.47**	**24.60**	**5.02**	**19.58**
अंडमान और निकोबार पीडी	24.65	4.79	19.86	24.22	4.75	19.47	24.60	5.02	19.58
आंध्र प्रदेश	**5.34**	**5.25**	**0.09**	**7.61**	**4.93**	**2.69**	**6.02**	**5.90**	**0.12**
एपीईपीडीसीएल	5.40	5.27	0.13	7.76	5.32	2.44	5.84	5.89	(0.05)
एपीएसपीडीसीएल	5.31	5.23	0.07	7.54	4.73	2.81	6.10	5.90	0.20
अरुणाचल प्रदेश	**6.05**	**1.41**	**4.64**	**7.09**	**2.82**	**4.27**	**8.00**	**3.08**	**4.92**
अरुणाचल पीडी	6.05	1.41	4.64	7.09	2.82	4.27	8.00	3.08	4.92
असम	**6.12**	**5.85**	**0.28**	**6.53**	**6.51**	**0.02**	**5.87**	**6.01**	**(0.14)**
एपीडीसीएल	6.12	5.85	0.28	6.53	6.51	0.02	5.87	6.01	(0.14)
बिहार	**5.28**	**4.59**	**0.68**	**5.94**	**5.33**	**0.61**	**6.26**	**5.34**	**0.92**
एनबीपीडीसीएल	5.04	4.73	0.31	6.07	5.60	0.47	6.65	6.08	0.57
एसबीपीडीसीएल	5.46	4.49	0.97	5.84	5.11	0.73	5.95	4.74	1.21
चंडीगढ़	**3.91**	**5.55**	**(1.64)**	**4.16**	**4.43**	**(0.26)**	**3.67**	**4.49**	**(0.82)**
चंडीगढ़ पीडी	3.91	5.55	(1.64)	4.16	4.43	(0.26)	3.67	4.49	(0.82)
छत्तीसगढ	**4.70**	**4.47**	**0.23**	**4.81**	**4.36**	**0.45**	**4.98**	**4.79**	**0.18**
सीएसपीडीसीएल	4.70	4.47	0.23	4.81	4.36	0.45	4.98	4.79	0.18
दादरा और नगर हवेली	**3.92**	**3.91**	**0.01**	**4.59**	**4.61**	**(0.02)**	**5.06**	**5.09**	**(0.03)**
डीएनएचपीडीसीएल	3.92	3.91	0.01	4.59	4.61	(0.02)	5.06	5.09	(0.03)
दमन और दीव	**2.69**	**4.08**	**(1.38)**	**2.99**	**3.61**	**(0.61)**	**3.97**	**4.27**	**(0.30)**
दमन और दीव पीडी	2.69	4.08	(1.38)	2.99	3.61	(0.61)	3.97	4.27	(0.30)
गोवा	**4.03**	**4.10**	**(0.06)**	**4.64**	**4.25**	**0.39**	**4.77**	**4.16**	**0.60**
गोवा पीडी	4.03	4.10	(0.06)	4.64	4.25	0.39	4.77	4.16	0.60
गुजरात	**4.71**	**4.76**	**(0.06)**	**4.93**	**4.96**	**(0.02)**	**5.43**	**5.48**	**(0.05)**
डीजीवीसीएल	5.95	6.00	(0.06)	6.06	6.08	(0.02)	6.61	6.68	(0.07)
एमजीवीसीएल	4.94	5.03	(0.09)	5.28	5.33	(0.05)	5.66	5.66	0.00
पीजीवीसीएल	4.23	4.28	(0.05)	4.51	4.53	(0.02)	4.96	5.02	(0.05)
यूजीवीसीएल	4.25	4.29	(0.05)	4.49	4.51	(0.02)	5.00	5.05	(0.05)
हरियाणा	**5.56**	**5.64**	**(0.08)**	**5.71**	**5.76**	**(0.05)**	**5.62**	**5.68**	**(0.06)**
डीएचबीवीएनएल	5.28	5.32	(0.04)	5.41	5.43	(0.03)	5.48	5.51	(0.04)
यूएचबीवीएनएल	5.94	6.07	(0.12)	6.15	6.23	(0.08)	5.83	5.92	(0.09)
हिमाचल प्रदेश	**5.09**	**5.06**	**0.03**	**5.14**	**5.23**	**(0.09)**	**5.05**	**5.07**	**(0.02)**
एचपीएसईबीएल	5.09	5.06	0.03	5.14	5.23	(0.09)	5.05	5.07	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	**4.05**	**2.20**	**1.85**	**4.19**	**2.47**	**1.72**	**4.18**	**2.15**	**2.03**
जेकेपीडीडी	4.05	2.20	1.85	4.19	2.47	1.72	4.18	2.15	2.03
झारखंड	**5.37**	**5.21**	**0.16**	**5.26**	**4.68**	**0.58**	**6.33**	**4.98**	**1.35**
जेबीवीएनएल	5.37	5.21	0.16	5.26	4.68	0.58	6.33	4.98	1.35
कर्नाटक	**5.83**	**5.46**	**0.36**	**6.11**	**5.43**	**0.68**	**6.59**	**6.22**	**0.37**
बेसकॉम	5.68	5.76	(0.08)	6.64	5.94	0.70	7.13	6.56	0.57
चेसकॉम	5.79	5.14	0.65	5.53	5.27	0.25	5.51	5.26	0.26
गेसकॉम	5.86	5.35	0.51	5.57	5.10	0.47	7.03	6.28	0.75
हेसकॉम	6.23	5.03	1.20	5.94	4.61	1.33	5.81	5.98	(0.17)
मेसकॉम	5.74	5.34	0.40	5.17	5.29	(0.11)	6.23	6.10	0.13
केरल	**5.45**	**5.14**	**0.32**	**5.36**	**5.31**	**0.05**	**5.63**	**5.53**	**0.10**
केएसईबीएल	5.45	5.14	0.32	5.36	5.31	0.05	5.63	5.53	0.10
लक्षद्वीप	**23.45**	**4.34**	**19.11**	**24.75**	**4.45**	**20.30**	**22.63**	**4.41**	**18.22**

लक्षद्वीप ईडी	23.45	4.34	19.11	24.75	4.45	20.30	22.63	4.41	18.22
मध्य प्रदेश	**5.59**	**4.72**	**0.88**	**5.81**	**4.42**	**1.39**	**5.77**	**4.98**	**0.79**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	5.60	4.30	1.30	5.98	4.05	1.93	5.69	4.73	0.96
एमपीपीएकेवीवीसीएल	5.54	5.33	0.21	5.64	5.06	0.58	5.63	5.52	0.11
एमपीपीओकेवीवीसीएल	5.65	4.47	1.19	5.82	4.09	1.73	6.02	4.61	1.41
महाराष्ट्र	**5.40**	**5.10**	**0.31**	**6.15**	**6.31**	**(0.16)**	**6.83**	**6.30**	**0.53**
एमएसईडीसीएल	5.40	5.10	0.31	6.15	6.31	(0.16)	6.83	6.30	0.53
मणिपुर	**5.48**	**5.50**	**(0.02)**	**5.79**	**4.50**	**1.29**	**6.50**	**4.85**	**1.64**
एमएसपीडीसीएल	5.48	5.50	(0.02)	5.79	4.50	1.29	6.50	4.85	1.64
मेघालय	**4.71**	**3.55**	**1.16**	**4.95**	**4.10**	**0.85**	**5.70**	**3.89**	**1.81**
एमईपीडीसीएल	4.71	3.55	1.16	4.95	4.10	0.85	5.70	3.89	1.81
मिजोरम	**5.64**	**6.94**	**(1.30)**	**7.46**	**6.28**	**1.18**	**6.17**	**8.11**	**(1.94)**
मिजोरम पीडी	5.64	6.94	(1.30)	7.46	6.28	1.18	6.17	8.11	(1.94)
नागालैंड	**6.02**	**5.21**	**0.81**	**9.74**	**5.64**	**4.09**	**7.49**	**1.87**	**5.62**
नागालैंड पीडी	6.02	5.21	0.81	9.74	5.64	4.09	7.49	1.87	5.62
ओडिशा	**4.31**	**3.99**	**0.32**	**4.75**	**4.15**	**0.60**	**4.78**	**4.44**	**0.34**
सेसु	4.39	3.79	0.59	4.45	3.96	0.49	4.64	4.23	0.41
नेस्को यूटिलिटी	4.30	4.15	0.15	4.43	4.42	0.00	4.86	4.60	0.26
साउथको यूटिलिटी	3.78	3.24	0.54	3.94	3.36	0.58	4.81	3.84	0.97
वेसको यूटिलिटी	4.48	4.45	0.03	5.72	4.54	1.18	4.88	4.84	0.04
पुदुचेरी	**4.37**	**4.38**	**(0.02)**	**4.75**	**4.62**	**0.13**	**5.78**	**4.81**	**0.97**
पुडुचेरी पीडी	4.37	4.38	(0.02)	4.75	4.62	0.13	5.78	4.81	0.97
पंजाब	**5.54**	**5.03**	**0.50**	**5.94**	**5.99**	**(0.05)**	**6.07**	**5.90**	**0.17**
पीएसपीसीएल	5.54	5.03	0.50	5.94	5.99	(0.05)	6.07	5.90	0.17
राजस्थान	**6.87**	**5.38**	**1.49**	**6.56**	**5.06**	**1.50**	**6.81**	**5.32**	**1.49**
एवीवीएनएल	7.20	5.69	1.51	7.10	5.57	1.53	6.89	6.15	0.74
जेडीवीवीएनएल	6.77	5.00	1.77	6.26	4.48	1.78	6.83	4.51	2.31
जेवीवीएनएल	6.73	5.48	1.25	6.46	5.21	1.24	6.73	5.45	1.29
सिक्किम	**3.52**	**3.26**	**0.25**	**3.41**	**3.39**	**0.02**	**4.21**	**3.67**	**0.54**
सिक्किम पीडी	3.52	3.26	0.25	3.41	3.39	0.02	4.21	3.67	0.54
तमिलनाडु	**6.33**	**4.89**	**1.43**	**6.69**	**4.81**	**1.88**	**6.76**	**4.68**	**2.09**
टैंजेडको	6.33	4.89	1.43	6.69	4.81	1.88	6.76	4.68	2.09
तेलंगाना	**5.68**	**4.51**	**1.17**	**6.36**	**4.90**	**1.45**	**6.41**	**5.33**	**1.09**
टीएसएनपीडीसीएल	5.67	4.37	1.29	6.44	4.58	1.85	6.28	5.48	0.80
टीएसएसपीडीसीएल	5.68	4.57	1.12	6.32	5.05	1.27	6.48	5.25	1.22
त्रिपुरा	**4.15**	**4.24**	**(0.09)**	**4.25**	**4.31**	**(0.06)**	**4.86**	**4.43**	**0.43**
टीएसईसीएल	4.15	4.24	(0.09)	4.25	4.31	(0.06)	4.86	4.43	0.43
उत्तर प्रदेश	**5.21**	**4.74**	**0.47**	**6.39**	**5.80**	**0.59**	**6.38**	**5.93**	**0.45**
डीवीवीएनएल	5.39	4.44	0.95	6.46	5.37	1.09	5.88	5.42	0.46
केस्को	6.88	7.05	(0.17)	8.55	7.25	1.29	8.08	7.44	0.65
एमवीवीएनएल	5.31	5.10	0.21	6.87	6.50	0.38	6.69	6.40	0.29
पीएवीवीएनएल	5.10	4.66	0.44	5.99	5.60	0.39	6.28	5.97	0.31
पीयूवीवीएनएल	4.89	4.53	0.36	6.14	5.68	0.45	6.48	5.73	0.74
उत्तराखंड	**4.47**	**4.29**	**0.18**	**4.79**	**4.24**	**0.55**	**4.94**	**4.74**	**0.21**
यूपीसीएल	4.47	4.29	0.18	4.79	4.24	0.55	4.94	4.74	0.21
पश्चिम बंगाल	**5.17**	**4.96**	**0.22**	**5.50**	**5.22**	**0.28**	**5.82**	**5.40**	**0.42**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5.17	4.96	0.22	5.50	5.22	0.28	5.82	5.40	0.42
निजी क्षेत्र	**6.32**	**6.67**	**(0.35)**	**6.60**	**6.86**	**(0.26)**	**6.91**	**7.08**	**(0.17)**
दिल्ली	**6.52**	**6.60**	**(0.07)**	**6.57**	**6.79**	**(0.21)**	**7.42**	**7.22**	**0.20**
बीआरपीएल	6.80	6.81	(0.01)	6.92	7.17	(0.25)	7.57	7.21	0.36
बीवाईपीएल	7.07	6.64	0.43	6.55	6.71	(0.16)	7.16	6.75	0.41
टीपीडीडीएल	5.80	6.30	(0.50)	6.17	6.38	(0.21)	7.41	7.59	(0.17)
गुजरात	**6.02**	**6.52**	**(0.50)**	**6.82**	**7.08**	**(0.26)**	**6.53**	**7.05**	**(0.52)**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	6.07	6.55	(0.49)	6.90	7.18	(0.28)	6.63	7.21	(0.58)
टोरेंट पावर सूरत	5.89	6.43	(0.54)	6.63	6.85	(0.22)	6.30	6.68	(0.38)
महाराष्ट्र				**6.70**	**6.71**	**(0.01)**	**6.41**	**6.83**	**(0.42)**
एईएमएल				6.70	6.71	(0.01)	6.41	6.83	(0.42)
उत्तर प्रदेश	**5.39**	**7.16**	**(1.77)**	**6.28**	**7.18**	**(0.90)**	**6.34**	**7.17**	**(0.83)**
एनपीसीएल	5.39	7.16	(1.77)	6.28	7.18	(0.90)	6.34	7.17	(0.83)
पश्चिम बंगाल	**6.18**	**6.92**	**(0.74)**	**6.41**	**6.92**	**(0.52)**	**6.48**	**6.97**	**(0.49)**
सीईएससी	6.14	6.92	(0.77)	6.39	6.94	(0.55)	6.54	7.05	(0.52)
आईपीसीएल	6.67	6.93	(0.26)	6.63	6.73	(0.10)	5.76	5.82	(0.06)
कुल जोड़	**5.50**	**4.99**	**0.50**	**6.00**	**5.31**	**0.70**	**6.15**	**5.55**	**0.60**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में सभी डिस्कॉम (राज्य-वार) का संचित हानि

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
राज्य क्षेत्र	**(444,106)**	**(492,360)**	**(522,869)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**-**	**-**	**-**
अंडमान और निकोबार पीडी	-	-	-
आंध्र प्रदेश	**(16,822)**	**(29,147)**	**(29,143)**
एपीईपीडीसीएल	(3,330)	(7,974)	(7,971)
एपीएसपीडीसीएल	(13,492)	(21,173)	(21,172)
अरुणाचल प्रदेश	**-**	**-**	**-**
अरुणाचल पीडी	-	-	-
असम	**(2,975)**	**(2,956)**	**(2,753)**
एपीडीसीएल	(2,975)	(2,956)	(2,753)
बिहार	**(9,244)**	**(12,258)**	**(15,206)**
एनबीपीडीसीएल	(2,768)	(3,888)	(5,171)
एसबीपीडीसीएल	(6,477)	(8,370)	(10,035)
चंडीगढ़	**-**	**-**	**-**
चंडीगढ़ पीडी	-	-	-
छत्तीसगढ	**(6,275)**	**(6,318)**	**(7,290)**
सीएसपीडीसीएल	(6,275)	(6,318)	(7,290)
दादरा और नगर हवेली	**115**	**129**	**140**
डीएनएचपीडीसीएल	115	129	140
दमन और दीव	**-**	**-**	**-**
दमन और दीव पीडी	-	-	-
गोवा	**-**	**-**	**-**
गोवा पीडी	-	-	-
गुजरात	**923**	**988**	**1,336**
डीजीवीसीएल	521	534	621
एमजीवीसीएल	344	356	392
पीजीवीसीएल	(201)	(172)	(20)
यूजीवीसीएल	259	270	343
हरियाणा	**(29,590)**	**(29,309)**	**(28,978)**
डीएचबीवीएनएल	(13,790)	(13,695)	(13,581)
यूएचबीवीएनएल	(15,800)	(15,614)	(15,396)
हिमाचल प्रदेश	**(1,535)**	**(1,532)**	**(1,505)**
एचपीएसईबीएल	(1,535)	(1,532)	(1,505)
जम्मू और कश्मीर	**-**	**-**	**-**
जेकेपीडीडी	-	-	-
झारखंड	**(4,521)**	**(5,272)**	**(6,258)**
जेबीवीएनएल	(4,521)	(5,272)	(6,258)
कर्नाटक	**(4,725)**	**(3,794)**	**(5,645)**
बेसकॉम	(194)	(148)	(1)
चेसकॉम	(666)	(876)	(1,242)
गेसकॉम	(1,350)	(1,002)	(1,995)
हेसकॉम	(2,646)	(1,956)	(2,638)
मेसकॉम	131	188	231
केरल	**(9,777)**	**(11,239)**	**(12,104)**
केएसईबीएल	(9,777)	(11,239)	(12,104)
लक्षद्वीप	**-**	**-**	**-**
लक्षद्वीप ईडी	-	-	-
मध्य प्रदेश	**(43,733)**	**(51,061)**	**(52,978)**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(18,115)	(21,962)	(23,237)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(10,846)	(11,421)	(10,492)

एमपीपीओकेवीवीसीएल	(14,772)	(17,678)	(19,249)
महाराष्ट्र	**(26,887)**	**(25,791)**	**(25,484)**
एमएसईडीसीएल	(26,887)	(25,791)	(25,484)
मणिपुर	**(85)**	**(129)**	**(137)**
एमएसपीडीसीएल	(85)	(129)	(137)
मेघालय	**(1,779)**	**(1,982)**	**(2,397)**
एमईपीडीसीएल	(1,779)	(1,982)	(2,397)
मिजोरम	**-**	**-**	**-**
मिजोरम पीडी	-	-	-
नागालैंड	**-**	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	-	-	-
ओडिशा	**(4,929)**	**(6,308)**	**(7,152)**
सेसु	(3,647)	(3,914)	(4,249)
नेस्को यूटिलिटी	(305)	(308)	(451)
साउथको यूटिलिटी	(553)	(765)	(1,101)
वेसको यूटिलिटी	(424)	(1,321)	(1,351)
पुदुचेरी	**(435)**	**(471)**	**(772)**
पुडुचेरी पीडी	(435)	(471)	(772)
पंजाब	**(6,963)**	**(7,001)**	**(8,159)**
पीएसपीसीएल	(6,963)	(7,001)	(8,159)
राजस्थान	**(92,460)**	**(89,854)**	**(86,868)**
एवीवीएनएल	(29,485)	(29,019)	(28,230)
जेडीवीवीएनएल	(31,009)	(29,775)	(29,765)
जेवीवीएनएल	(31,967)	(31,060)	(28,872)
सिक्किम	**-**	**-**	**-**
सिक्किम पीडी	-	-	-
तमिलनाडु	**(75,272)**	**(87,895)**	**(99,860)**
टैंजेडको	(75,272)	(87,895)	(99,860)
तेलंगाना	**(28,209)**	**(36,231)**	**(42,293)**
टीएसएनपीडीसीएल	(8,814)	(11,869)	(12,984)
टीएसएसपीडीसीएल	(19,395)	(24,362)	(29,309)
त्रिपुरा	**(441)**	**(423)**	**(513)**
टीएसईसीएल	(441)	(423)	(513)
उत्तर प्रदेश	**(75,829)**	**(81,342)**	**(85,153)**
डीवीवीएनएल	(25,379)	(27,310)	(27,939)
केस्को	(3,122)	(3,569)	(3,800)
एमवीवीएनएल	(14,007)	(14,858)	(15,518)
पीएवीवीएनएल	(14,936)	(16,227)	(17,295)
पीयूवीवीएनएल	(18,386)	(19,379)	(20,602)
उत्तराखंड	**(2,569)**	**(3,122)**	**(3,699)**
यूपीसीएल	(2,569)	(3,122)	(3,699)
पश्चिम बंगाल	**(87)**	**(43)**	**3**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(87)	(43)	3
निजी क्षेत्र	**13,047**	**14,206**	**15,453**
दिल्ली	**2,959**	**3,152**	**3,972**
बीआरपीएल	437	729	1,040
बीवाईपीएल	212	384	603
टीपीडीडीएल	2,310	2,039	2,330
गुजरात	**93**	**660**	**947**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	177	705	836
टोरेंट पावर सूरत	(84)	(45)	110
महाराष्ट्र		**(21)**	**(31)**
एईएमएल		(21)	(31)
उत्तर प्रदेश	**775**	**878**	**945**
एनपीसीएल	775	878	945
पश्चिम बंगाल	**9,219**	**9,536**	**9,620**
सीईएससी	9,063	9,365	9,620
आईपीसीएल	157	171	-
कुल जोड़	**(431,059)**	**(478,153)**	**(507,416)**

****